भारत संघ और अन्य

बनाम

कृष्ण कुमार व अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 672)

14 जनवरी, 2019

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता]

असम राइफल्स वारंट ऑफिसर (जनरल ड्यूटी) ग्रुप 'सी' कॉम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2012 - 2011 में असम राइफल्स के पुनर्गठन के बाद नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति और 2012 में भर्ती नियमों का निर्माण - पात्रता - 2011 में, भारत संघ ने हवलदार के एक पद के उन्मूलन/ उन्नयन द्वारा वारंट अधिकारी की एक मध्यवर्ती रैंक शुरू की - इसके बाद, भर्ती नियम, 2012 अधिसूचित किए गए - भर्ती नियम, 2012 के अनुसार वारंट अधिकारी का पद सृजित किया गया था जिसे हवलदार के पद पर आसीन असम राइफल्स के सदस्यों के बीच पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था - परिणामस्वरूप, हवलदारों के लिए वारंट अधिकारी के नव सृजित पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए - रिट कार्यवाही इस शिकायत के साथ शुरू की गई कि पदोन्नति नायब सूबेदार के पद पर की जानी चाहिए थी - उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर रिट याचिका - अपील पर, माना गया: उच्च न्यायालय के निर्णय का पूरा आधार यह था कि जो लोग पुनर्गठन अभ्यास से पहले भर्ती किए गए थे और हवलदार के पद पर थे, उन्होंने नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति का निहित अधिकार हासिल कर लिया था - यह कानून में सही स्थिति को नहीं दर्शाता है - अधिकार को नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है क्योंकि वे इस प्रकार, वारंट अधिकारी के मध्यवर्ती पद के सृजन के बाद असम राइफल्स की संरचना में बदलाव होने के बाद, हवलदार के पद को धारण करने वाले व्यक्तियों को वारंट अधिकारी - सेवा कानून के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।

उत्तरदाताओं को 1982 और 1989 के बीच असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर नियुक्त किया गया था। संबंधित समय पर वे हवलदार के रूप में काम कर रहे थे। नियमों के तहत, जैसा कि वे पहले मौजूद थे, हवलदार के लिए पदोन्नति का अवसर नायब सूबेदार के पद पर था। 2011 में, भारत संघ ने हवलदार के एक पद के उन्मूलन/ उन्नयन द्वारा वारंट अधिकारी की एक मध्यवर्ती रैंक शुरू की। नए भर्ती नियमों यानी असम राइफल्स वारंट ऑफिसर (जनरल ड्यूटी) ग्रुप 'सी' कॉम्बैटाइज्ड पोस्ट भर्ती नियम, 2012 के अनुसार, वारंट ऑफिसर का पद सृजित किया गया था, जिसे हवलदार के पद पर आसीन असम राइफल्स के सदस्यों के बीच पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था। जिसके फलस्वरूप हवलदारों के लिए वारंट अधिकारी के नवसृजित पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए गए। रिट कार्यवाही शुरू की गई। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी और कहा कि भर्ती नियमों के संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों को आवश्यक रूप

से उन नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो रिक्तियों की घटना के समय मौजूद थे। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

अपीलों का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:

1. यह अच्छी तरह से तय है कि पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले नियमों के अनुसार पदोन्नति के अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने माना है कि इस आशय के सार्वभौमिक आवेदन का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को आवश्यक रूप से कानून के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उस तारीख को मौजूद था जब वे उत्पन्न हुए थे। वाई.वी. रंगैया बनाम श्रीनिवास राव मामले में इस न्यायालय के निर्णय को बाद के निर्णयों में एक ऐसे मामले के रूप में माना गया है जहां लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति या चयन की प्रक्रिया को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता थी। इसलिए, एचएस ग्रेवाल बनाम भारत संघ मामले में यह माना गया है कि एक मध्यवर्ती पद का निर्माण पदोन्नति के निहित अधिकार के साथ हस्तक्षेप नहीं होगा। [पैरा 11] [987-एफ-एच; 988-ए]

2. वारंट अधिकारी के मध्यवर्ती पद के सृजन के बाद असम राइफल्स की संरचना में बदलाव होने के बाद, हवलदार के पद को धारण करने वाले व्यक्तियों को वारंट अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। पुनर्गठन अभ्यास के परिणामस्वरूप वारंट अधिकारी का मध्यवर्ती पद सृजित किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बताने में गलती की कि भर्ती नियमों में संशोधन से पहले उत्पन्न हुई रिक्तियों को आवश्यक रूप से उन नियमों द्वारा शासित किया जाएगा जो रिक्तियों की घटना के समय मौजूद थे। जैसा कि पहले उल्लेख किए गए मामलों से संकेत मिलता है, पूर्ण या सार्वभौमिक आवेदन का ऐसा कोई नियम नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का पूरा आधार यह था कि जो लोग पुनर्गठन की कवायद से पहले भर्ती हुए थे और हवलदार के पद पर थे, उन्होंने नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति का निहित अधिकार हासिल कर लिया था। यह कानून में सही स्थिति को नहीं दर्शाता है। इस अधिकार पर नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे तब मौजूद होते हैं जब पदोन्नति के लिए अभ्यास किया जाता है। [पैरा 14] [989-ई-जी]

वाईवी रंगैया बनाम श्रीनिवास राव (1983) 3 एससीसी 284;

एचएस ग्रेवाल बनाम भारत संघ (1997) 11 एससीसी 758; दीपक अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एससीसी 725: [2011] 4 एससीआर 149; त्रिपुरा राज्य बनाम निखिल रंजन चक्रवर्ती (2017) 3 एससीसी 646 पर भरोसा किया गया। केस लॉ रेफरेंस (1983) 3 एससीसी 284 पैरा 5 (1997) पर निर्भर 11 एससीसी 758 पैरा 5 [2011] पर निर्भर 4 एससीआर 149 पैरा 6 (2017) पर भरोसा करता है 3 एससीसी 646 पैरा 7 पर निर्भर है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 672 @ 2014 की एसएलपी (सी) संख्या 26451।

मणिपुर उच्च न्यायालय के दिनांक 10.12.2013 के निर्णय और आदेश से इम्फाल में 2012 की रिट याचिका संख्या 590 में। 2019 की सिविल अपील संख्या 673 @ 2014 की एसएलपी (सी) संख्या 30337, और 2019 की 674 @ एसएलपी (सी) संख्या 30334 2014 के साथ।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री वी मोहना, टी ए खान, शंकर दिवाटे, हेमंत आर्य, बिपिन कुरियन, अनीश कुमार गुप्ता, चंद्र शेखर सुमन, बी वी बलराम दास, बी कृष्ण प्रसाद, के जी भगत, सुश्री अर्चना मिड्ढा, विनीत भगत, नीरज झा, विनोद शर्मा, पवन रेले, पेश पक्षों के वकील।

जस्टिस डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड ने कोर्ट का फैसला सुनाया।

सिविल अपील (@ एसएलपी (सी) 2014 की संख्या 26451)

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील मणिपुर उच्च न्यायालय के 10 दिसंबर 2013 के एकल न्यायाधीश के एक आदेश से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को निर्देश जारी किया है कि वे प्रतिवादियों (उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं) के मामले पर विचार करें यदि वे पात्र हैं और 2011 में असम राइफल्स की संरचना में किए गए परिवर्तनों से पहले और वारंट अधिकारी के लिए भर्ती नियमों के प्रवर्तन से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति के लिए विचार के क्षेत्र के भीतर हैं। 2012 में। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 2011 से पहले हुई रिक्तियों के लिए अन्य हवलदारों के संबंध में इस तरह की कवायद की जाए।

3. उत्तरदाताओं को 1982 और 1989 के बीच असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर नियुक्त किया गया था। संबंधित समय में, वे हवलदार के रूप में काम कर रहे थे। नियमों के तहत, जैसा कि वे पहले मौजूद थे, हवलदार के लिए पदोन्नति का अवसर नायब सूबेदार के पद पर था। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए गृह मंत्रालय में भारत सरकार ने हवलदार के एक पद के उन्मूलन/उन्नयन द्वारा वारंट अधिकारी के मध्यवर्ती रैंक की शुरूआत के लिए 3 मार्च 2011 को अपनी स्वीकृति दे दी। 16 जून, 2012 को असम राइफल्स वारंट ऑफिसर (जनरल ड्यूटी) ग्रुप 'सी' कॉम्बैटाइज्ड पोस्ट भर्ती नियम, 2012 अधिसूचित किए गए थे। भर्ती नियमों के अनुसार, वारंट अधिकारी का पद सृजित किया गया था जिसे हवलदार (सामान्य ड्यूटी) के पद पर आसीन असम राइफल्स के सदस्यों के बीच ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और अपेक्षित शैक्षिक योग्यता रखने वाले सदस्यों के बीच पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था। नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पदोन्नति के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं

"असम राइफल्स के उन सदस्यों के बीच पदोन्नति जो हवलदार (सामान्य ड्यूटी) के पद पर हैं, ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ और निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, अर्थात्: – (i) मानचित्र पढ़ना मानक वन-पास (ii) पदोन्नति कैडर उत्तीर्ण - पास (iii) तकनीकी व्यापार परीक्षा एक - पास नोट 1: जहां योग्यता या पात्रता सेवा पूरी करने वाले जूनियर को पदोन्नति के लिए माना जाता है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनके पास योग्यता की कमी न हो। ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, के लिए अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा और अपने कनिष्ठों के साथ अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक

या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। नोट 2: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से, 1 जनवरी, 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, यानी जिस तारीख से संशोधित वेतन संरचना बैंड या छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को बढ़ाया गया है, को आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित संबंधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।

4. 13 अगस्त 2012 को वारंट ऑफिसर के नवसृजित पद पर हवलदारों के लिए पदोन्नति आदेश जारी किए गए। प्रतिवादियों को वारंट अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष इस शिकायत के साथ रिट कार्यवाही शुरू की गई थी कि हवलदार के पद से पदोन्नति वारंट अधिकारी के निचले और निम्न रैंक पर थी, जबकि पदोन्नति नायब सूबेदार के पद पर की जानी चाहिए थी।

6. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि 2011 में असम राइफल्स की संरचना में लाए गए परिवर्तनों के बावजूद, नायब सूबेदारों के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए हवलदारों के पक्ष में बदले गए ढांचे के प्रवर्तन से पहले अर्जित अधिकारों को लागू करने की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि:

"अब यह अच्छी तरह से तय है कि भर्ती नियमों में संशोधन या निर्माण से पहले होने वाली रिक्तियों को उन नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना है जो रिक्ति के समय मौजूद थे।

7. इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे 2011 में किए गए परिवर्तनों से पहले और भर्ती नियम, 2012 के प्रवर्तन से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ नायब सूबेदारों के पद पर पदोन्नति के लिए प्रतिवादियों और अन्य हवलदारों के मामले पर विचार करें।

8. फैसले को चुनौती देते हुए भारत संघ अपील में है।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर कार्यवाही की है कि भर्ती नियमों के संशोधन से पहले हुई रिक्तियों को पूर्ववर्ती प्रावधानों द्वारा शासित करने की आवश्यकता थी, जिसके तहत हवलदार के पद से नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति होगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि एक बार 2011 में असम राइफल्स के ढांचे में बदलाव हुआ और 2012 के भर्ती नियमों में कहा गया कि हवलदार के पद से पदोन्नति वारंट अधिकारी के पद पर होगी, तो उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश जारी करने में उचित नहीं था।

10. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि हवलदारों को वारंट अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियमों के तहत, जैसा कि वे असम राइफल्स के पुनर्गठन से पहले प्रचलित थे, हवलदारों के लिए पदोन्नति वारंट अधिकारी के पद पर थी। जबकि प्रतिवादियों ने भर्ती नियमों को चुनौती नहीं दी है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा नोट किया गया है, वे आग्रह करते हैं कि 2011 से पहले उत्पन्न रिक्तियों को नायब सूबेदारों के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हवलदारों को पदोन्नत करके भरा जाना चाहिए।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अच्छी तरह से तय है कि पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले नियमों के अनुसार पदोन्नति के अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने माना है कि इस आशय के सार्वभौमिक आवेदन का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को आवश्यक रूप से कानून के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उस तारीख को मौजूद था जब वे उत्पन्न हुए थे। वाईवी रंगैया बनाम श्रीनिवास राव मामले में इस अदालत का फैसला! बाद के निर्णयों में इसे एक ऐसे मामले के रूप में माना गया है जहां लागू नियमों में पदोन्नति या चयन की प्रक्रिया को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता थी। इसलिए, यह एच.एस. ग्रेवाल बनाम भारत संघ में आयोजित किया गया है? कि एक मध्यवर्ती पद का सृजन पदोन्नति के निहित अधिकार के साथ हस्तक्षेप नहीं होगा। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार कहा: "... एक मध्यवर्ती पद की इस तरह की शुरुआत, हमारी राय में, किसी भी निहित अधिकारों में हस्तक्षेप करने के बराबर नहीं है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, इसे सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यहां हुआ यह है कि ग्रुप-बी क्लास-2 से ग्रुप-ए क्लास-1 में भविष्य में पदोन्नति के लिए एक इंटरमीडिएट पद भावी प्रभाव से सृजित किया गया है। यदि, 1981 के इन नियमों के लागू होने से पहले, ये अधिकारी 1974 के नियमों के तहत कमांडेंट के रूप में सीधे पदोन्नत होने के पात्र थे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें ऐसी कोई पदोन्नति मिलती, 1981 के नियम उन्हें मध्यवर्ती पद से गुजरने के लिए बाध्य करते थे, तो यह किसी भी निहित अधिकारों में हस्तक्षेप करने के बराबर नहीं है।

12. दीपक अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"26. अब तक यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के प्रकाश में विचार करने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि विचार होने की तारीख पर 'लागू नियम'। सार्वभौमिक या पूर्ण आवेदन का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख पर मौजूद कानून द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाना है। पुराने नियमों के तहत पुरानी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता उस उम्मीदवार के साथ जुड़ी हुई है जिसने पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार हासिल कर लिया है। पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार पात्र उम्मीदवारों के विचार की तारीख पर प्राप्त होता है। जब तक कि वाईवी रंगैया के मामले (सुप्रा) में लागू नियम में कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, जिसके भीतर चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है। वर्तमान मामले में, संशोधन लागू होने के बाद पदोन्नति के लिए विचार किया गया। इस प्रकार, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संशोधन द्वारा अपीलकर्ताओं के किसी भी अर्जित या निहित अधिकार को छीन लिया गया है। अपीलकर्ताओं के वकील बी. एल. गुप्ता बनाम एमसीडी (सुप्रा), पी. गणेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (सुप्रा) और एनटी डेविन कट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य (सुप्रा) द्वारा उद्धृत फैसले वाईवी रंगैया के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत की पुनरावृत्ति हैं।

13. हाल ही में, त्रिपुरा राज्य बनाम निखिल रंजन चक्रवर्ती मामले में, इस न्यायालय की एक अन्य दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार कहा:

"इस प्रकार कानून स्पष्ट है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के प्रकाश में विचार करने का अधिकार है, अर्थात्, "विचार की तारीख पर लागू नियम" और पूर्ण आवेदन का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को हमेशा उस तारीख को मौजूदा कानून द्वारा भरा जाना चाहिए जब वे उत्पन्न हुए थे। दीपक अग्रवाल (सुप्रा) के मामले

में विचार किए जाने वाले अवसर के पूर्ण बहिष्करण और पूर्ण रूप से वंचित होने के मामले में, इस मामले में फीडर कैडर में कुछ अतिरिक्त पदों को शामिल किया गया है, जिससे विचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। ऐसा नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के स्थित उम्मीदवारों को पूरी तरह से बाहर रखा गया था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें अब कुछ और उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी। किसी भी मामले में, चूंकि कोई उपार्जित अधिकार नहीं था और न ही ऐसा कोई अधिदेश था कि रिक्तियों को रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख को मौजूद कानून द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए, इसलिए राज्य को यह निर्धारित करने का अधिकार था कि रिक्तियों को संशोधित नियमों के अनुसार भरा जाए। दूसरा, नियमों में संशोधन की प्रक्रिया भी 24.11.2011 की अधिसूचना से काफी पहले शुरू हो गई थी।

14. कानून के इस कथन को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि वारंट अधिकारी के मध्यवर्ती पद के सृजन के बाद असम राइफल्स की संरचना में बदलाव होने के बाद, हवलदार के पद को धारण करने वाले व्यक्तियों को वारंट अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। पुनर्गठन अभ्यास के परिणामस्वरूप वारंट अधिकारी का मध्यवर्ती पद सृजित किया गया था। हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने यह बताने में गलती की थी कि भर्ती नियमों में संशोधन से पहले उत्पन्न हुई रिक्तियां आवश्यक रूप से उन नियमों द्वारा शासित होंगी जो रिक्तियों के होने के समय मौजूद थीं। जैसा कि पहले उल्लेख किए गए मामलों से संकेत मिलता है, पूर्ण या सार्वभौमिक आवेदन का ऐसा कोई नियम नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का पूरा आधार यह था कि जो लोग पुनर्गठन की कवायद से पहले भर्ती हुए थे और हवलदार के पद पर थे, उन्होंने नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति का निहित अधिकार हासिल कर लिया था। यह कानून में सही स्थिति को नहीं दर्शाता है। इस अधिकार पर नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे तब मौजूद होते हैं जब पदोन्नति के लिए अभ्यास किया जाता है।

15. इसलिए, हम अपील में योग्यता देखते हैं। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

16. पक्षकार के लिए आवेदनों की अनुमति है।

17. देरी को माफ कर दिया गया।

18. अपील मंजूर की गई।

19. भारत संघ बनाम कृष्ण कुमार [2014 की सिविल अपील @ एसएलपी (सी) संख्या 26451] में आज दिए गए फैसले के मद्देनजर, इन अपीलों को तदनुसार निपटाया जाता है। कोई कीमत नहीं।

अपील निस्तारित।

इला देओल, एडवोकेट